न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–0744–2325871

8

GCMS NO.-2022/20
मिसल नम्बर– 09/2022

1.श्रीमती नन्द बाई पत्नि स्व0 श्री राजकुमार, आयु 64 वर्ष जाति माली, निवासी कायन हाउस के पीछे मुक्तिमार्ग नयापुरा कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.श्रीमती लक्ष्मी पत्नि स्व0 श्री मोनू, आयु 36 वर्ष, जाति माली, निवासी कायन हाउस के पीछे मुक्तिमार्ग, नयापुरा कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

उपस्थितिः– दिनांक 11/8/25

1.अरूणा पाटनी अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री रामस्वरूप अधिवक्ता अप्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 64 वर्षीया वृद्ध महिला है,तथा सीनियर सिटीजन है, प्रार्थीया के पति का देहावसान हो चुका है, तथा प्रार्थीया अपने स्वयं के एवं अपने स्व0 पुत्र मोनू के शामलाती खरीदशुदा मकान में करीब 13 वर्षो से उक्त मकान में निवास करती है। उक्त मकान प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पुत्र मोनू ने शामलाती रुप से खरीद किया था, तथा बाद खरीद से ही प्रार्थीया उक्त मकान में ऊपर की मंजिल में अपनी परित्यक्ता पुत्री के साथ निवास करती चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त मकान में विधिवत 1/2 हिस्सा है, जिसमें वह निवास करती है, तथा उक्त मकान में निहित 1/2 हिस्से की मालिक एवं स्वामी है। उक्त मकान के समस्त दस्तावेज प्रतिपक्षीणी के पास ही है, जो मांगने पर भी प्रार्थीया को नहीं देती है। प्रतिपक्षीणी प्रार्थीया के स्वर्गीय पुत्र मोनू की पत्नि है, तथा वह उक्त मकान में नीचें की मंजिल पर निवास करती है, किन्तु प्रार्थीया के पुत्र सोनू का देहावसान दिनांक 06.03.2021 को होने के पश्चात से ही प्रतिपक्षीणी प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करके सम्पूर्ण मकान पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिये आये दिन प्रार्थीया के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

साथ गाली-गलौच करती है, लडाई झगडा करती है, तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट करने पर आमादा होती है, तथा प्रतिपक्षीणी ने प्रार्थीया को धमकी दे रखी है कि वह किसी भी हालत में प्रार्थी से उक्त मकान खाली करवाकर प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करके ही रहेगी, इस प्रकार प्रार्थीया को प्रतिपक्षीणी से अपने जान का खतरा उत्पन्न हो गया है, प्रार्थीया उक्त घटना की रिर्पोट दर्ज करवाने पुलिस थाना नयापुरा कोटा पर जाती है तो वहां पर प्रार्थीया की कोई सुनवाई नहीं की जाती, तथा घर-परिवार का मामला बताकर प्रार्थीया को वहां से भगा दिया जाता है। उक्त सम्पति प्रार्थीया ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाई है, और प्रार्थीया का उक्त सम्पति में 1/2 हिस्सा है, जिसकी प्रार्थीया मालिक, स्वामी एवं काबिज है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिपक्षीणी प्रार्थीया को उसका उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करती है,उंक्त मकान में स्थित समस्त मुल्यवाद चीजों पर प्रतिपक्षीणी ने कब्जा कर रखा है। उक्तसम्पति के समस्त असल दस्तावेज भी प्रतिपक्षीणी के पास है। इसलिये प्रार्थीया को माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिपक्षी को पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थीया को उसके हिस्से के मकान से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से के मकानका उपयोग-उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे,जिसके लिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थनापत्र. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीण को माननीय न्यायालय में तलब किया जाकर प्रतिपक्षीणी को पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया को उसके 1/2 हिस्से के मकान से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से के मकान का शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे।

प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इस मद में वर्णित मकान प्रार्थीया व उसके पुत्र का खरीद शुदा नहीं है बल्कि प्रतिपक्षीनी का स्वयं की निजी पूंजी से खरीद शुदा मकान है, प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी की सहमति व स्वीकृति से ही निवास कर रही है। इस मद में वर्णित मकान प्रार्थीया व उसके पुत्र का खरीद शुदा नहीं है बल्कि प्रतिपक्षीनी का स्वयं की निजी पूंजी से खरीद शुदा मकान है, प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी की सहमति व स्वीकृति से बतोर लाईसेंसी निवास कर रही है। प्रार्थीया का उक्त मकान में 1/2 हिस्सा नहीं है और न वह उक्त मकान की मालिक है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थीया उक्त मकान में बतोर लाइसेंसी निवास कर रही है। प्रतिपक्षीनी के पति मोनू की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी को उसके खरीद शुदा मकान से बेदखल कराने पर आमादा है ओर प्रतिपक्षीनी पर लांछन लगाती है कि वह उसके पुत्र को खा गयी तथा आये दिन प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी से लड़ाई झगडा करती रहती हे तथा कहती है कि वह स्वयं ही इस मकान की मालिक है ओर प्रतिपक्षीनी को उक्त मकान से भगाना चाहती है। जिसका कि प्रार्थीया को कोई अधिकार नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

है। उक्त विवादित मकान प्रार्थया व उसके पुत्र ने खरीद नहीं किया है और प्रार्थिया ने स्वअर्जित आय से नहीं बनाया है। बल्कि प्रतिपक्षीनी ने अपनी स्वयं की पूंजी से मकान को खरीद किया है। प्रार्थीया का उक्त मकान में कोई हक हिस्सा व स्वत्व नहीं है। प्रार्थीया उक्त मकान में बहेसियत लाइसेंसी निवास कर रही है प्रार्थीया उक्त मकान की मालिक नहीं है इस कारण उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विवरण विशेष आपत्तियां में दर्ज है। प्रार्थीया ने सर्वथा गलत व असत्य व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ। इस कारण वाद कारण के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया का पुत्र मोनू कोई कमाई नहीं करता था। प्रतिपक्षीनी ही मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती चली आ रही है। प्रतिपक्षीनी ने अपनी मेहनत व मजदूरी से उक्त मकान पेमायशी 10 इन्टू 25 फीट कुल 250 वर्गफीट का है जिसको पूर्व मालिक श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी हरीश कुमार जाति रेगर निवासी नयापुरा कोटा से जरिये इकरार नामा मुख्तार नामा से दिनांक 17–5–2014 को खरीद किया है। जिसकी प्रतिफल की राशि 7,70,000 /– रूपये प्रतिपक्षीनी ने पूर्व मालिक लक्ष्मी देवी को अदा किये है। इस प्रकार उक्त मकान की मालिक प्रतिपक्षीनी चली आ रही है। प्रार्थीया उक्त मकान की मालिक नहीं है ओर न उक्त मकान मे उसका कोई हिस्सा व हक व अधिकार है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हे कि वह विवादित मकान में 13 वर्ष से अपनी पुत्री के साथ निवास कर रही है तथा उसने व उसके पुत्र मोनू ने मिल के मकान खरीद किया है सर्वथा गलत कथन किये गये है क्योंकि प्रतिपक्षीनी ने उक्त मकान दिनांक 17–5–2014 को खरीद किया है तो उक्त मकान में प्रतिपक्षीनी के साथ 13 वर्ष से निवास करने व 13 वर्ष पूर्व खरीद करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी से अलग बोरखेडा में कच्ची टापरियों में निवास करती थी। अतिक्रमण के दौरान उक्त कच्ची टापरियों को तोड दिया गया तब प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षीनी के मकान में उसकी अनुमति से रहने की इजाजत मांगी थी तब प्रतिपक्षीनी ने प्रार्थीया को उपर की मंजिल रहने हेतु दिया था। प्रार्थीया की एक पुत्री भी प्रार्थीया के साथ मकान में रहने आ गयी जबकि उसका पति दिल्ली में रहता है। इस प्रकार प्रार्थीया बतोर लाइसेंसी निवास कर रही है। प्रार्थीया का उक्त मकान में किसी प्रकार का मालिकाना अधिकार स्वत्व व हिस्सा नहीं है। प्रतिपक्षीनी के पति मोनू से प्रतिपक्षीनी ने तीन पुत्रियां हे जो नाबालिग है प्रतिपक्षीनी बडी मुशिकल से मेहनत मजदूरी करके उनका लालन पालन कर रही है। प्रतिपक्षीनी के पति की मृत्यु दिनांक 6–3–2021 को हो जाने के पश्चात् प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी को उसके खरीद शुदा मकान से बेदखल कराने पर आमादा है ओर प्रतिपक्षीनी पर लांछन लगाती है कि वह उसके पुत्र को खा गयी तथा आये दिन प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी से लडाई झगडा करती रहती हे तथा कहती है कि वह स्वयं ही इस मकान की मालिक है ओर प्रतिपक्षीनी को उक्त मकान से भगाना चाहती है। जिसका कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीया को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिया व उसकी पुत्री अवैध धन्धों में लिप्त है और उक्त मकान मे अनैतिक लोग आते है प्रतिपक्षीनी के तीन पुत्रियां हे जो नाबालिग है इस कारण प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रार्थीया से इस बाबत मना करने पर यह झूंठा प्रार्थना पत्र उक्त मकान को हडपने की नियत से व प्रतिपक्षीनी प्रार्थीया को मकान से नही निकालने की गरज से पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की सहायता में 1/2 हिस्से मकान के बाबत सहायता चाही है जो किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती है। जिसका माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। बल्कि ऐसे प्रकरण का सुनवायी का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीया उक्त मकान की अथवा उसके 1/2 हिस्से की मालिक नहीं है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया ने सिविल न्यायालय सिविल न्यायाधीश न0 1 दक्षिण कोटा में भी विवादित मकान के 1/2 हिस्से के बाबत बैदखल नही करने व विभाजन कराने का वाद पेश कर रखा है इस कारण प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी के मकान में काबिज रहने की अधिकारिणी नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी को बार बार मुकदमें के परेशन करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेशकिया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है उक्त मकान प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पुत्र मोनू ने शामलाती रुप से खरीद किया था, इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त मकान में विधिवत 1/2 हिस्सा है, जिसमें वह निवास करती है, तथा उक्त मकान में निहित 1/2 हिस्से की मालिक एवं स्वामी है। प्रतिपक्षीणी प्रार्थीया के स्वर्गीय पुत्र मोनू की पत्नि है, तथा वह उक्त मकान में नीचें की मंजिल पर निवास करती है, किन्तु प्रार्थीया के पुत्र सोनू का देहावसान दिनांक 06.03.2021 को होने के पश्चात से ही प्रतिपक्षीणी प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करके सम्पूर्ण मकान पर कब्जा करना चाहती है, तथा प्रतिपक्षीणी ने प्रार्थीया को धमकी दे रखी है कि वह किसी भी हालत में प्रार्थी से उक्त मकान खाली करवाकर प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करके ही रहेगी। प्रार्थीया के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थीया द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीया व उसके पुत्र का खरीद शुदा नहीं है बल्कि प्रतिपक्षीनी का स्वयं की निजी पूंजी से खरीद शुदा मकान है, प्रार्थीया प्रतिपक्षीनी की सहमति व स्वीकृति से बतौर लाईसेंसी निवास कर रही है। प्रार्थीया का उक्त मकान में 1/2 हिस्सा नहीं है और न वह उक्त मकान की मालिक है। अप्रार्थीया की ओर से अपने कथनों के समर्थन में इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा जारी पटटे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

12

की फोटोप्रति पेश की है। प्रार्थीया की ओर से फर्द दस्तावेज सत्यापित प्रति आदेश न्यायालय कम 1 साउथ कोटा, प्रार्थना पत्र आयुक्त नगर निगम उत्तर कोटा 13.01.2022, रसीद 17.01.22 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित मकान से सम्बंध में हक अधिकार के निर्धारण बाबत उभयपक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है। आदेश न्यायालय कम 1 साउथ कोटा की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीया के विरूद्ध ताफैसला वाद उपरोक्त वर्णित मकान के उपरी तल से प्रार्थीया को जबरन बदेखल न करने, मकान के उक्त भाग के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने एवं उसे हस्तांतरित अथवा खुर्द बुर्द, रहन, वसीयत नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। चूंकि प्रार्थीया के पक्ष में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 दक्षिण कोटा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि उभयपक्षकारान माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 1 दक्षिण कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करे एवं एक दूसरे के निवास स्थान में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को ।